19-9-24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वादी सं. 4, जो वादी सं. 1 से 3 की संरक्षक भी है, की ओर से प्रकरण विड्रो (प्रत्याहरण) करने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश किया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार उपरोक्त प्रकरण में वादीगण के हितों अनुसार राजीनामा हो चुका है, इस कारण उपरोक्त प्रकरण में किसी प्रकार का अनुतोष शेष नहीं रहा है। इसलिए उक्त प्रकरण को वादीगण आगे चलाना नहीं चाहते हैं।

वादी सं. 4 जो वादी सं. 1 से 3 की संरक्षक भी है, स्वयं उपस्थित, जिसकी पहचान वकील वादी द्वारा की गई। वादी ने पहचान स्वरूप आधार कार्ड सं. 495167604107 की स्वहस्ताक्षरित प्रति पेश की।

Sd/- Shri Sholit ... for plaintiff
Sd/- Ramdev ...
गी. वि. गीता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.24 13:25:02 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

गुंजन बनाम मलावीर

किस्म मुकदमा :- 88/188 B.T.Act नंबर 38 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वादी एवं वकील वादी को सुना। तद्नुसार वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दावा जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.24 13:25:02 IST
Reason: SelfAttested